



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित
राजकोषीय नीति का विवरण

निर्मला सीतारामन
वित्त मंत्री

फरवरी, 2022

वित्त मंत्रालय
बजट प्रभाग

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
1	वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण	1
2	मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह-राजकोषीय नीति कार्यनीति का विवरण	11

प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को केन्द्र सरकार के घाटा और ऋण में सम्पोषणीय स्तर तक कमी लाने के लिए विधायी कार्ययोजना की व्यवस्था करने हेतु अधिनियमित किया गया था ताकि राजकोषीय प्रबंध और दीर्घावधिक वृहत-आर्थिक स्थिरता में अंतर-सृजनात्मक इक्विटी सुनिश्चित की जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004, 5 जुलाई, 2004 से लागू की गई है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन में केन्द्र सरकार को यह अधिदेश दिया गया है कि 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का तीन प्रतिशत किया जाए। इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि केन्द्र सरकार 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60 प्रतिशत और केन्द्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करे।

आर्थिक वृद्धि तथा वित्तीय मापदण्डों पर कोविड-19 के झटके के अप्रत्याशित स्वरूप होने के कारण वित्तीय घाटा, जो बजट अनुमान 2020-21 में 3.5 प्रतिशत था, संशोधित अनुमान 2020-21 में बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया। महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितता वर्ष 2021 से 2022 तक जारी रही। महामारी को नियंत्रित करने के लिए विकासात्मक तथा कल्याण संबंधी व्यय के बढ़ने और मांगों को सहायता प्रदान करने के कारण राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमान 2021-22 में बजट अनुमान 2020-21 में जीडीपी के 6.8 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 6.9 प्रतिशत बना रहा। बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटे के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो संशोधित अनुमान 2021-22 से कम है।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी जीडीपी वृद्धि के प्रथम अग्रिम अनुमान (7 जनवरी, 2022) से नवीकृत विकास गति स्पष्टतः परीलक्षित हो रही है। इसके अनुसार, भारत के वास्तविक जीडीपी में वर्ष 2021-22 में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

इस प्रलेख में वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के साथ-साथ राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण शामिल हैं। इन विवरणों में अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं के आकलन, कराधान, व्यय, बाजार उधारों और अन्य देयताओं, आदि से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की कार्यनीतियों को दर्शाया गया है। इसमें वित्तीय लक्ष्यों से विचलन और इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की अन्य देयताओं को भी शामिल किया गया है। विचलन के कारणों का उल्लेख करने सहित राजकोषीय नीति विवरण को एतद्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

वृहद आर्थिक रूपरेखा का विवरण

अर्थव्यवस्था का अवलोकन

1. 2020 की शुरुआत में फैली कोविड-19 महामारी ने 2021-22 में अपनी बार-बार की लहरों के साथ देशों में स्वास्थ्य और आर्थिक झटके देना जारी रखा। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव भारत में 2021-22 की शुरुआत में दूसरी लहर के साथ हुआ। पहली लहर के विपरीत, दूसरी लहर राज्यों में अपनी शुरुआत में अतुल्यकालिक थी और ग्रामीण इलाकों में इसका प्रसार अधिक तीव्र था। दूसरी लहर ने आर्थिक सुधार की गति को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसका अनुभव भारत 2020-21 की दूसरी छमाही से कर रहा है, इसके अलावा स्वास्थ्य चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। हालाँकि, पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव अत्यंत कम था। मई 2021 के मध्य में दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के बाद, 2021-22 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आई जो जीएसटी संग्रह, बिजली की खपत, पीएमआई विनिर्माण और सेवाओं, रेल माल ढुलाई और बंदरगाह गतिविधि जैसे प्रमुख उच्च आवृत्ति संकेतकों के पुनरुत्थान में भी परिलक्षित हुआ। जनवरी 2021 से टीकाकरण में भारत की तीव्र प्रगति ने तेजी से सुधार में सहायता की, जिसने दूसरी लहर के कारण गति में क्रमिक गिरावट को रोकने में मदद की। प्रमुख उच्च आवृत्ति संकेतकों के नवीनतम अध्ययन से 2021-22 की

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारी सुधार का संकेत मिलता है।

2. दूसरी लहर की अतुल्यकालिक प्रकृति को देखते हुए, भारत की नीति प्रतिक्रिया ने केंद्र सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में एक विभेदित, राज्य-स्तरीय नीतिगत प्रतिक्रिया को तैयार किया, ताकि स्वास्थ्य के अवसंरचनात्मक बुनियादी ढांचे को तेजी से फिर से शुरू किया जा सके और 'टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड-उपयुक्त व्यवहार' का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने दूसरी लहर का मुकाबला करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक विकास और रोजगार को गति प्रदान करने के लिए जून 2021 में 6.29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज में अरक्षित परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए सुरक्षा कवच का प्रावधान और आपूर्ति पक्ष के कई उपायों को शामिल किया गया था। सुरक्षा कवच में अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी के अलावा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एएनबीवाई) का विस्तार शामिल है। आपूर्ति पक्ष के उपायों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान, कोविड -19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का विस्तार, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना, पर्यटन क्षेत्र के

कामगारों के लिए योजना, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देना, भारत नेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड के लिए सहायता, और सुधार आधारित रिजल्ट-लिंक्ड विद्युत वितरण योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कई अन्य सुधार शुरू किए गए जो तकनीक-समर्थित, सरलीकृत और सहायक बैंकिंग पर केंद्रित थे। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नौ संरचनात्मक सुधार, पांच प्रक्रियात्मक सुधार और राहत उपाय भी शुरू किए। इसके अलावा, सरकार 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को लागू कर रही है जिन्हें विशेष रूप से मूलभूत दक्षता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने, दक्षता सुनिश्चित करने और विनिर्माण क्षेत्र में आकार और पैमाने की मितव्ययिता लाने और भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार किया गया है।

3. मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय के रूप में एक बड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया। 2021-22 के अनुरूप बजट परिव्यय में 34.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि, केंद्र सरकार ने अप्रैल-नवंबर 2021 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.5 प्रतिशत और 2019-20 के इसी अवधि की तुलना में 28 प्रतिशत बढ़ा दिया। केपेक्स व्यय रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्गों,

और आवास और शहरी मामलों, जो औद्योगिक बदलाव के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में शामिल हैं, पर केंद्रित था। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अंतर-मंत्रालयी तालमेल का उपयोग करने के लिए, सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत की, जिसमें रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाया गया। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

आर्थिक विकास

4. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी के वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 2021-22 में 9.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ, अर्थव्यवस्था 2019-20 के महामारी पूर्व उत्पादन के 101.3 प्रतिशत की वसूली करने के पड़ाव पर है। इसे आगे 2021-22 की तीसरी तिमाही में कई उच्च आवृत्ति संकेतकों में देखे गए मजबूत रिबाउंड और टीकाकरण कवरेज में तेजी से बल मिला है।

5. मांग पक्ष के संबंध में, वसूली का आधार व्यापक रहा है। जबकि निवेश और निर्यात ने महामारी पूर्व 2019-20 के स्तर की पूर्ण वसूली से अधिक हासिल किया है, निजी खपत में भी सुधार हुआ है

और महामारी पूर्व के स्तर के 97.1% तक की वसूली हुई है और वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में पूरी तरह से ठीक हो गई है। वर्तमान में निजी खपत व्यय के 2020-21 में 9.1 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले 2021-22 में 6.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जबकि निर्यात निवेश में 2020-21 में 10.8 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले 2021-22 में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। सरकारी खपत व्यय 2020-21 में 2.9 प्रतिशत के मुकाबले 2021-22 में 7.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 29.4 प्रतिशत (स्थिर कीमतों पर) बढ़ने का अनुमान है। ये अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते पूंजीगत व्यय, भारत के निर्यात के आघात सहन क्षमता में वृद्धि, निवेश चक्र में वृद्धि और बेहतर खपत स्तरों के कारण आर्थिक सुधार के सुदृढ़ होने की पुष्टि करते हैं।

6. आपूर्ति पक्ष के संबंध में, जबकि कृषि आर्थिक सुधार के लिए अटूट समर्थन देना जारी रखे हुए है, विनिर्माण और निर्माण ने महामारी पूर्व तदनुसूची उत्पादन स्तरों के 100 प्रतिशत से अधिक की वसूली का प्रदर्शन किया। ये विकास स्पष्ट रूप से उपभोक्ता और निवेशक भावना में वृद्धि, रुकी हुई मांग पुनःकिए जाने, विशेष रूप से बढ़ते सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और आवास चक्र में वृद्धि से निर्माण को सहायता देना दर्शाता है। सेवा क्षेत्र में रिकवरी महामारी पूर्व के लगभग 99.2 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गई है जो महामारी की स्थिति में संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों की

क्रमिक अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। वर्तमान में, स्थिर (2011-12) मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की वृद्धि 2020-21 में 6.2 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 2021-22 में 8.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि 2020-21 में 3.6 प्रतिशत, (-) 7.0 प्रतिशत और (-) 8.4 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में क्रमशः 3.9 प्रतिशत, 11.8 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

कृषि

7. 2020-21 में (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.7 मिलियन टन होने का अनुमान है जो कि 2019-20 के दौरान 297.5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.1 मिलियन टन अधिक है। चावल का उत्पादन 2019-20 में 118.9 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 के दौरान 122.3 मिलियन टन होने का अनुमान है। गेहूं का उत्पादन 2019-20 के दौरान 107.9 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 के दौरान 109.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया है। बढ़ाए गए एमएसपी के कारण सीजन 2021-22 में भारत में उत्पादन की कुल भारित औसत लागत का 1.5 गुना प्रतिफल सुनिश्चित किया गया है।

8. देश में दूध का उत्पादन 146.3 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 198.4 मिलियन टन (2019-20) हो गया है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता (2019-20) में 406 ग्राम प्रति दिन है। देश में अंडा उत्पादन 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में 114.38 बिलियन हो गया है। 2019-20 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता 86 अंडे है। भारत में मछली उत्पादन 2020-21 के दौरान 14.5 मिलियन मीट्रिक टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर मत्स्य पालन क्षेत्र ने 2014-15 के बाद से 10.87 प्रतिशत की उत्कृष्ट दोहरे अंकों की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह 15,00,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 15,75,398 करोड़ रुपए था। 2021-22 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 16,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है और 30 सितंबर, 2021 तक इस लक्ष्य ती तुलना में 7,36,589.05 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है।

उद्योग

9. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जिनमें खनन, विनिर्माण और बिजली शामिल है, के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों ने 2019-20 में (-) 0.8 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में (-) 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार, 2020-21 के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली

क्षेत्रों में क्रमशः (-) 7.8 प्रतिशत, (-) 9.6 प्रतिशत और (-) 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उपयोग आधारित श्रेणियों में 2020-21 में प्राथमिक वस्तुएँ, पूँजीगत वस्तुएँ, मध्यवर्ती वस्तुएँ, अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ में क्रमशः (-) 7 प्रतिशत, (-) 18.6 प्रतिशत, (-) 9.4 प्रतिशत, (-) 8.7 प्रतिशत, (-) 15.0 प्रतिशत और (-) 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान आईआईपी की संचयी वृद्धि अप्रैल-नवंबर 2020-21 के दौरान (-) 15.3 प्रतिशत की तुलना में 17.4 प्रतिशत है।

10. आठ मूलभूत बुनियादी ढांचा सहायक उद्योग, अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, जिनका कुल भार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 40 प्रतिशत है, में 2019-20 में 0.4 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में (-) 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान उर्वरक का उत्पादन 1.7 बढ़ा, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन क्रमशः 1.9 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत, 11.2 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत, 10.8 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत गिरा। अप्रैल-नवंबर 2020-22 के दौरान आठ प्रमुख उद्योगों की संचयी वृद्धि अप्रैल-नवंबर 2020-21 के दौरान (-) 11.1 प्रतिशत की तुलना में 13.7 प्रतिशत थी।

कीमतें

11. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति दर 2014-15 में 5.9 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह 2019-20 में फिर से बढ़कर 4.8 प्रतिशत और 2020-21 में और बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गयी। खुदरा मुद्रा स्फीति दर जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 6.6 प्रतिशत थी, अप्रैल-दिसम्बर, 2021 के दौरान घटकर 5.2 प्रतिशत हो गई। सीपीआई-सी आधारित मुद्रास्फीति दर दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत थी। उपभोक्ता खर्च मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खर्च मुद्रास्फीति 2014-15 में 6.4 प्रतिशत थी जो 2018-19 में घटकर 0.1 प्रतिशत रह गई। यह 2019-20 में बढ़कर 6.7 प्रतिशत और 2020-21 में 7.7 प्रतिशत हो गयी। हालांकि, 2021-22 के दौरान, सीएफपीआई घटकर 2.9 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी और दिसंबर 2021 में 4.0 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति 2018-19 में 4.3 प्रतिशत थी जो 2020-21 में घटकर 1.3 प्रतिशत हो गई। यह 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गई और दिसंबर 2021 में 13.6 प्रतिशत हो गई।

केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था

12. 2021-22 का राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत था। बजट अनुमान 2021-22 में कर और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात 9.9

प्रतिशत और कुल व्यय और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात 15.6 प्रतिशत होने की परिकल्पना की गई थी। सकल कर राजस्व की परिकल्पित वृद्धि संशोधित अनुमान 2020-21 में 16.7 प्रतिशत थी। कुल व्यय में बजट अनुमान 2021-22 में 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।

13. अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी केंद्र सरकार के वित्त के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2020 की तुलना में सकल कर राजस्व में 50.3 प्रतिशत और अप्रैल-नवंबर 2019 की तुलना में 31.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान गैर-कर राजस्व में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 79.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। नवंबर 2021 के अंत में, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमान 2021-22 के 11 प्रतिशत पर थीं।

14. अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान प्रमुख सब्सिडी में अप्रैल-नवंबर 2020 की तुलना में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 2020-21 की इसी अवधि की तुलना में खर्च सब्सिडी में 41.2 प्रतिशत और पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी में 53.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

15. अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 46.2 प्रतिशत रहा, जो 2020-21 में इसी अवधि के दौरान 135.1 प्रतिशत और 2019-20 में इसी अवधि के दौरान

114.8 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए राजस्व घाटा बजट अनुमान का 38.8 प्रतिशत है और पिछले वर्ष के 139.9 प्रतिशत के तत्संगत आंकड़े से काफी कम है। संशोधित अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत पर रखा गया है।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

16. 2021 के दौरान मौद्रिक नीति उदार बनी रही। रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की फरवरी 2021 से छह बैठकें हुई हैं। सभी बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं और इसमें एमपीसी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के आरंभ होने के बाद से मौद्रिक नीति और तरलता संचालन को भारतीय अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व मांग और आपूर्तिपक्ष के झटकों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तैयार किया गया है। एमपीसी ने मार्च-मई 2020 के दौरान 115 आधार अंकों (बीपीएस) की पर्याप्त कटौती और फरवरी 2019 से संचयी रूप से 250 आधार अंकों की कटौती के बाद फरवरी 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान नीति रेपो दर को यथास्थिति बनाए रखा।

17. 2021-22 के दौरान, अर्थव्यवस्था में उच्च तरलता के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में संकलित राशि में उच्च वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021-22 में अब तक, आरक्षित धनराशि (M_0) ने एक साल

पहले के 14.9 प्रतिशत की तुलना में 24 दिसंबर, 2021 को सालाना आधार पर वर्ष-दर-वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2021-22 के दौरान अब तक M_0 में विस्तार, घटक पक्ष से आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि से संचालित था। 17 दिसंबर, 2021 को स्थूल मुद्रा (M_3) की वृद्धि 9.3 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 12.4 प्रतिशत थी। M_3 की वृद्धि में समग्र जमाओं ने सबसे अधिक योगदान दिया।

बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र

18. पिछले वर्ष की इसी अवधि में बैंक ऋण वृद्धि 6.0 प्रतिशत थी जो 17 दिसंबर, 2021 को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत हो गई। अक्टूबर 2021 में गैर-खाद्य ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 7.1 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर 2020 में इसमें 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2021-22 में ऋण वृद्धि में कमी ज्यादातर कृषि और संबद्ध कार्यकलापों तथा व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में देखी गई थी।

19. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात (अर्थात् सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) मार्च 2021 के अंत में 7.3 प्रतिशत था जो घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया। समग्र रूप से, एससीबी का तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर

2020 के अंत में 7.9 प्रतिशत था जो सितंबर 2021 के अंत में घटकर 6.9 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का जीएनपीए अनुपात जो मार्च 2020 के अंत में 10.3 प्रतिशत था, मार्च 2021 के अंत में घटकर 9.1 प्रतिशत हो गया और तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.96 प्रतिशत था जो सितंबर 2021 के अंत में घटकर 8.8 प्रतिशत हो गया। हालांकि, इसे कोविड-19 के कारण उधारकर्ताओं को प्रदान की गई आस्ति वर्गीकरण राहत के संयोजन के रूप में देखा जाना चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

20. एनबीएफसी की कुल आस्ति मार्च 2019 में 29.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2020 में 30.81 लाख करोड़ रुपए और मार्च 2021 में 34.75 लाख करोड़ रुपए तथा सितंबर 2021 के अंत में ₹35.11 लाख करोड़ हो गई, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 2019-20 के 9.1 प्रतिशत की तुलना में और बढ़कर 2020-21 के दौरान 12.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

विदेशी क्षेत्र

21. 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान मर्चेडाइज निर्यात (सीमा शुल्क आधार) 301.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 201.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था, इस प्रकार इसमें 49.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, मर्चेडाइज आयात 443.8

बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि में 262.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर 68.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तेल आयात 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 54.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में बढ़कर 118.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में मर्चेडाइज व्यापार घाटा 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में बढ़कर 142.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

22. भारत में व्यापार घाटे में तेज वृद्धि के बाद 2020-21 (अप्रैल-सितंबर) में 3.0 प्रतिशत की अधिशेष दर की तुलना में 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत दर्ज किया गया। सेवाओं और निजी अंतरण की अधिक शुद्ध प्राप्तियों के कारण 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) में निवल अदृश्य प्राप्तियां अधिक थीं।

23. वर्ष 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) में शुद्ध एफडीआई प्रवाह 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2020-21 (अप्रैल-सितंबर) में 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) में पोर्टफोलियो निवेश में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले यह 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

24. 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (आरबीआई की संदर्भ दर) प्रति अमेरिकी डॉलर ₹74.28 थी, जबकि 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान यह प्रति अमेरिकी डॉलर ₹74.63 थी।

25. सितंबर 2021 के अंत तक विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 20.1 प्रतिशत के स्तर पर कम था। 2015-16 से भारी गिरावट आने के बाद, 2020-21 के अंत में भारत की बाह्य देनदारियों और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात बढ़कर 44.94 प्रतिशत हो गया है। हालांकि सितंबर 2021 के अंत में यह फिर से घटकर 42.80 प्रतिशत हो गया।

संभावनाएं

26. सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम अनुमानों और प्रमुख आर्थिक गतिविधि संकेतकों में बदलाव होने से भारत के आर्थिक सुधार की गति के सुदृढ़

होने की पुष्टि होती है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में महामारी पूर्व उत्पादन स्तर पर पूर्णतः वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन ओमीक्रॉन संक्रमण में हाल ही में हुई वृद्धि और लगातार आपूर्ति बाधाओं के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण आर्थिक बहाली के सामने चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इसे मानते हुए कि आने वाले वर्ष में आर्थिक गतिविधियों पर महामारी के व्यवधानों का असर नहीं होगा और घरेलू एवं वैश्विक दोनों बाजारों में तरलता आहरण सुचारु होगा, भारत के अंकित सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

व्यापक आर्थिक ढांचा विवरणः (आर्थिक प्रदर्शन एक नजर में)					
क्र. सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत परिवर्तन	
		अप्रैल-दिसंबर		अप्रैल-दिसंबर	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
भू-संपदा क्षेत्र					
1	बाजार कीमतों पर जीडीपी (हजार करोड़) @				
	क) प्रचलित कीमतों पर	19746	23215	-3.0	17.6
	ख) 2011-12 की कीमतों पर	13513	14754	-7.3	9.2
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)@@	108.5	127.4	-15.3	17.4
3	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)^	121.8	137.0	0.04	12.5
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: संयुक्त (2012=100)^	154.9	162.9	6.6	5.2
5	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (हजार करोड़)\$	18059.1	19741.9	12.4	9.3
6	प्रचलित कीमतों पर आयात *				
	क) ₹ करोड़ में	19,56,257	32,98,495	-23.7	68.6
	ख) यूएस \$ मिलियन में	262.8	443.8	-27.9	68.9
7	प्रचलित कीमतों पर निर्यात *				
	क) ₹ करोड़ में	15,00,020	22,38,821	-10.6	49.3
	ख) यूएस \$ मिलियन में	201.4	301.4	-15.5	49.7
8	व्यापार संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर) *	-61.4	-142.4		
9	विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत में)				
	क) करोड़ में	4280252	4707812	30.5	43.5
	ख) यूएस \$ मिलियन में	585771	633614	27.4	8.2
10	चालू खाता शेष (यूएस\$ बिलियन)#	34.4	-3.0		

सरकारी वित्त (₹ करोड़)###				
	अप्रैल से नवंबर			
1. राजस्व प्राप्तियां	812710	1358920	-17.3	67.2
सकल कर राजस्व	1026055	1541920	-12.6	50.3
कर (केंद्र के प्रति शुद्ध)	688430	1135264	-8.3	64.9
गैर कर	124280	223026	-46.6	79.5
2. पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें से	1093648	716317	30.7	-34.5
ऋणों की वसूली	11962	11339	9.6	-5.2
अन्य प्राप्तियां	6179	9364	-65.9	51.5
उधार और अन्य देनदारियां	1075507	695614	33.1	-35.3
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	830851	1378993	-17.9	66.0
4. कुल व्यय	1906358	2074607	4.7	8.8
(क) राजस्व व्यय	1665200	1800977	3.7	8.2
(ख) पूंजीगत व्यय	241158	273630	12.8	13.5
5. राजस्व घाटा	1075507	695614	33.1	-35.3
7. राजकोषीय घाटा	692082	235291	48.5	-66.0
8. प्राथमिक घाटा	812710	1358920	-17.3	67.2
<p>@: जीडीपी अप्रैल से मार्च तक है और 2020-21 अनंतिम अनुमान है और 2021-22 पहला अग्रिम अनुमान है।</p> <p>@@: अप्रैल से नवंबर</p> <p>^: 2020-21 के लिए अनंतिम और अप्रैल-मई, 2020 के महीनों के लिए सीपीआई-सी, जो कोविड -19 महामारी के कारण टिप्पणियों के सीमित सेट पर आधारित हैं।</p> <p>*: सीमा शुल्क के आधार पर।</p> <p>\$: 17 दिसंबर, 2021 को बकाया और वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन</p> <p>#: अप्रैल-सितंबर।</p> <p>###: लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2021 के मासिक खातों के आंकड़े और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर की वृद्धि के आधार पर।</p>				

मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह-रोजकोषीय नीति कार्यनीति का विवरण

राजकोषीय सूचक - जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवर्ती लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	2021-22	2022-23
1. राजकोषीय घाटा	6.9	6.4
2. राजस्व घाटा	4.7	3.8
3. प्राथमिक घाटा	3.3	2.8
4. कर राजस्व (कुल)	10.8	10.7
5. गैर- कर राजस्व	1.4	1.0
6. केन्द्रीय सरकार का ऋण	59.9	60.2

टिप्पणी:

1. जीडीपी से अभिप्राय वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से है।
2. केन्द्र सरकार का ऋण जिसमें वर्तमान विनिमय दर पर मूल्यांकित बाहरी सार्वजनिक ऋण, राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश सहित लोक लेखा में कुल बकाया देयता एनएसएसएफ और ईबीआर के तहत देयताएं आदि शामिल हैं।
3. एनएसएसएफ के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के तहत देयताएं संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 की जीडीपी का क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत है। इन देयताओं के तहत केन्द्र सरकार का निवल ऋण संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में क्रमशः 58.2 प्रतिशत और 58.8 प्रतिशत है।

1. उपर्युक्त सारणी में 2021-22 के संशोधित अनुमान और 2022-23 की बजट अनुमान के प्रमुख वित्तीय सूचकों को दर्शाया गया है। एक ओर जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी बहाली के मार्ग पर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर महामारीजनित अनिश्चितता अभी भी बरकरार है।

2. 2011 के दौरान कोविड-19 महामारी के जारी रहने और 2022 में अभी भी इसके बने रहने के कारण विश्व की आर्थिक स्थिति की बहाली की गति

पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दी वल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (जनवरी 2022), जिसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है, ने विश्व की आर्थिक प्रगति के कम होने का अनुमान लगाया है, जोकि 2021 के 5.9 प्रतिशत से कम होकर 2022 में 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस स्थिति और घरेलू समुत्थान में तेजी लाने की जरूरत को देखते हुए और लोगों पर इस महामारी के कारण पड़े हानिकारक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से उन्हें राहत देने के

लिए सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अनिश्चितता के समाप्त होने तक पूरे जोर-शोर से उभरती आकस्मिकताओं के प्रति कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित लचीलापन बनाए रखे।

3. इस संदर्भ में विकास और राजकोषीय समेकन के दोहरे उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस विवरण में राजकोषीय प्रक्षेपणों को नहीं दर्शाया गया है। हालांकि, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में घोषणा की गई थी सरकार राजकोषीय समेकन के अपने मार्ग पर चलती रहेगी जिससे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि में उचित रूप से सुस्थिर कमी लाकर राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे जीडीपी स्तर तक लाया जा सके।

4. इस विवरण के अंत में एक विवरण दिया गया है जिसमें एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन दायित्वों को पूरा करने में हुए विचलन के कारणों को स्पष्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 का राजकोषीय दृष्टिकोण:

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट को चुनौती भरे समष्टिगत आर्थिक परिवेश में प्रस्तुत किया गया था जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की पहली लहर के भयानक प्रकोप से उत्प्रेरणवश क्रमिक रूप से उभर रही थी। इसमें राजकोषीय घाटे को सं.अ. 2020-21 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से घटाकर ब.अ. 2021-22 में जीडीपी के 6.8 प्रतिशत पर लाकर व्यापक और सतत

आर्थिक पुनरुत्थान की जरूरत और वित्तीय समेकन के बीच एक नाजुक संतुलन की कोशिश की गई थी।

6. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमानों अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी के 9.2 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 7.3 प्रतिशत का संकुचन देखा गया था। वृद्धि के इस स्तर पर, ऐसी उम्मीद है कि हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के पूर्व के आउटपुट के स्तर को पार कर जाएगी।

7. केन्द्र सरकार के वित्तीय साधन वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समुत्थानशील बने रहे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले आठ महीनों (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान वर्ष-दर-वर्ष दर्ज की जाने वाली सकल राजस्व की प्राप्ति में हुई वृद्धि वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्तरों की तुलना में क्रमशः लगभग 67 प्रतिशत और 38 प्रतिशत रही हैं। इस अवधि के दौरान केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्ति, जोकि बजट अनुमान के लगभग 76 प्रतिशत रही है, पिछले पांच वर्षों के बजट अनुमानों के 50.3 प्रतिशत के गतिमान औसत से काफी अधिक रही है। इस अवधि में कर राजस्व (केन्द्र के प्रति निवल) और गैर-कर राजस्व प्राप्ति अपने बजट अनुमानों का क्रमशः 73.5 प्रतिशत और 91.8 प्रतिशत रही है।

8. कर के मार्च पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में वर्ष-दर-वर्ष महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष अवधि की तुलना में इस वर्ष के पहले आठ महीनों में क्रमशः लगभग 66 प्रतिशत और 39 प्रतिशत रही है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में हुई वृद्धि में बेहतर कॉर्पोरेट निष्पादन के

कारण कार्पोरेशन टैक्स में हुई वृद्धि (90 प्रतिशत), और आयकर में वृद्धि (47 प्रतिशत) शामिल है। अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क की प्राप्ति में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है जिससे यह जाहिर होता है कि आर्थिक/व्यापारिक काम-काज में काफी सुधार आया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की सापेक्ष अवधि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2021-22 के दौरान केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की प्राप्ति में क्रमशः 48 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। सीजीएसटी के राजस्व में जो यह वृद्धि हुई है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता और सरकार के उपायों की प्रभावकारिता का प्रमाण है जिनका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और कर-वंचन को बंद करना था।

9. भारतीय रिजर्व बैंक से किए गए उच्च लाभांश अंतरण से गैर-कर राजस्व को बढ़ावा मिला है। हालांकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति में वृद्धि सुस्त रही है और ऐसा मुख्य रूप से नवंबर 2021 तक विनिवेश की कम प्राप्ति के कारण हुआ है। एयर इंडिया के सफलतापूर्वक बिक्री हो जाने पर चालू वित्तीय वर्ष के बाकी महीनों में सरकार की विनिवेश योजना को बढ़ावा मिल सकता है।

10. चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान बजट-निर्धारित जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर संग्रहणों में से लगभग 67 प्रतिशत की वसूली हो गई है। केन्द्र सरकार ने भी जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर में आई कमी के बदले में बैंक-टू-बैंक ऋण सुविधा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों को 1.59 लाख करोड़ रुपये की संपूर्ण

राशि अंतरित कर दी है। बैंक-टू-बैंक ऋण के फ्रंट-लोडिंग का उद्देश्य राज्यों को इस बात के लिए सशक्त बनाना था कि वे महामारी को रोकने के लिए उपाय कर सकें और उनको लागू भी कर सकें और साथ, ही साथ पूंजी और अन्य विकासपरक व्यय को पूरा करने में तेजी ला सके।

11. अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केन्द्र सरकार का व्यय लगभग 20.75 लाख करोड़ रुपए या 2021-22 के बजट अनुमान का लगभग 60 प्रतिशत रहा है। पूर्ण रूप से देखे तो इसमें वर्ष-दर-वर्ष लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। राजस्व व्यय लगभग 18.01 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय लगभग 2.74 लाख करोड़ रुपये का रहा है। इस अवधि के दौरान, पूंजी खाते में हुए खर्च में वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की सापेक्ष अवधि की तुलना में क्रमशः 14 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

12. राजस्व की प्राप्ति में आई उछाल के कारण नवंबर 2021 के अंत में केन्द्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का लगभग 46.2 प्रतिशत था जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के दौरान रहे क्रमशः 135 प्रतिशत और 115 प्रतिशत से काफी कम रहा है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान राजस्व घाटा बजट अनुमान का लगभग 38.8 प्रतिशत रहा है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की सापेक्ष अवधि के अंत में रहे संगत 140 प्रतिशत और 128 प्रतिशत से बहुत कम रहा है।

13. आगे बढ़ते हुए, चालू वित्तीय वर्ष के बाकी महीनों के दौरान सार्वजनिक व्यय में तेजी आने की

संभावना है। अनुदानों की पूरक मांग की पहली और दूसरी बैच के तहत 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अतिरिक्त व्यय विनियोजन के कारण ऐसा हुआ है। पूरक बजट में शामिल किए व्यय की प्रमुख मदें पीएमजीकेवाई के विस्तार, अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी, कोविड-19 आपातकालीन रिस्पांस और स्वास्थ्य व्यवस्था तैयारी पैकज, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन माफी योजनाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के स्क्रिप के बकाये का एकबारगी निपटान, सरकार के पिछले गारंटीत ऋणों का निपटान और एयर इंडिया के अन्य विविध देय, आदि से संबंधित हैं। प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों जैसे कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेलवे आदि के पूंजीगत परिव्यय में भी पूरक अनुदान मांग के तहत बढ़ोतरी हुई है।

14. इस वर्ष के संशोधित अनुमान में सकल व्यय के बढ़कर लगभग 37.70 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है जोकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक है। यह लगभग 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, कुल व्यय बजट अनुमान 2020-21 के 15.3 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान में बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

15. राजस्व खाते का व्यय संशोधित अनुमान में 31.67 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में यह 29.29 लाख करोड़ रुपये था। पूंजी खाता के अंतर्गत होने वाले व्यय के बढ़कर लगभग 6.03 लाख करोड़ होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 2021-22

में यह 5.54 लाख करोड़ रुपये था। सरकार के पिछले गारंटीयुक्त ऋण/एयर इंडिया की अन्य विविध देयताओं, जिनके लिए जिनको परिसंपत्ति संबंधी कोई आधार नहीं था, के भुगतान के लिए एआईएएचएल में इक्विटी के रूप में निवेश किए जाने के लिए दिए गए 0.52 लाख करोड़ रुपये को निकाल दिए जाने से संशोधित अनुमान 2021-22 में वास्तविक पूंजीगत व्यय लगभग 5.51 लाख करोड़ रुपये बैठता है।

16. पूंजीगत परिसंपत्ति (जीआईए-कैपेक्स) के सृजन के लिए सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार काफी राशि आवंटित करती है। यद्यपि लेखांकन की दृष्टि से, जीआईए-कैपेक्स को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, सही मायनों में यह व्यय अधिकांशतः पूंजीगत प्रकृति का होता है। संशोधित अनुमान 2021-22 में कुल जीआईए-कैपेक्स अनुमानतः 2.38 लाख करोड़ रुपये का रहा है। अतः प्रभावी पूंजीगत व्यय (एयर इण्डिया के लिए 0.52 लाख रूपए की सहायता को छोड़कर) और जीआईए-कैपेक्स-संशोधित अनुमान 2021-22 में लगभग 7.89 लाख करोड़ रूपए अनुमानित है।

17. संशोधित अनुमान 2021-22 में, राजकोषीय घाटा बजट अनुमान 2021-22 में 6.8 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 6.9 प्रतिशत पर स्थिर है। यह वर्ष के दौरान क्रमिक महामारी लहरों के कारण सामाजिक-आर्थिक कल्याण से संबंधित व्यय में तीव्र बढ़ोतरी और एयर इण्डिया की पिछले देय राशि के निपटान के कारण भी है। व्यय के समुचित लक्ष्य और लोक वित्त के कुशल प्रबन्धन के माध्यम से संशोधित अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट निर्धारित प्रस्ताव

के निकट है। संशोधित अनुमान 2021-22 में राजस्व घाटा सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधारों का संकेत देते हुए 5.1% के बजट अनुमान की तुलना में जीडीपी के 4.7% तक गिरना अनुमानित है।

18. केंद्रीय सरकार राज्यों को उनके पूंजीगत और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए उनके हाथों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, 0.95 लाख करोड़ रूपए की धनराशि राज्यों को कर अंतरण की दो अग्रिम किशतों के रूप में जारी की है। सरकार ने बिना किसी अतिरिक्त बाजार उधारी के चालू वित्तीय वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी के एवज में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदत्त 1.59 लाख करोड़ रूपए की धनराशि बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में जारी कर दी है।

19. दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल एवं निवल उधारियां बजट अनुमान 2021-22 में क्रमशः 12.05 लाख करोड़ रूपए और 9.17 लाख करोड़ रूपए के रूप में नियोजित की गई थीं। सरकार ने लगभग 6.25 प्रतिशत की भारित औसत लब्धि के साथ और लगभग 16.92 वर्ष की भारित औसत परिपक्वता के साथ 17 जनवरी, 2022 तक 10.47 लाख करोड़ रूपए की सकल उधारी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। एनएसएसएफ के तहत उपलब्ध उच्चतर निवेशीय धनराशि और उपलब्ध नकद शेष इत्यादि के प्रभावी उपयोग के साथ केन्द्र सरकार के वित्त की देखरेख करने के लिए जरूरी दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल उधारी को युक्तिसंगत बना कर संशोधित अनुमान 2021-22 में क्रमशः 10.47 लाख करोड़ रूपए और 7.76 लाख करोड़ रूपए कर दिया गया है।

20. सरकारी पूर्णरूपेण चुकता बॉड के माध्यम से जुटाए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के कारण देनदारियों सहित केन्द्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर जीडीपी के 61.8 प्रतिशत से घटकर संशोधित अनुमान 2021-22 में जीडीपी के 59.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

21. केन्द्रीय सरकार भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी की अदायगी के लिए गारंटियां प्रदान करती है। एफआरबीएम अधिनियम केन्द्र सरकार को गारंटियों के रूप में आकस्मिक देनदारियां लेने के लिए वार्षिक लक्ष्य विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिदेशित करता है। तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में वृद्धिशील गारंटियों का अनुमान लगाने के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है।

22. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देनदारियों का स्टॉक स्पष्ट अर्थों में वित्तीय वर्ष 2004-05 में लगभग 1.08 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर लगभग 4.98 लाख करोड़ रूपए तक हो गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, ऐसी देनदारियां वित्तीय वर्ष 2004-05 में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 2.5% तक गिर गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, गारंटियों के स्टॉक में निवल वृद्धि 27520 करोड़ रूपए अथवा जीडीपी की 0.14 प्रतिशत थी, जो एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्दिष्ट 0.5% की सीमा के भीतर थी। बकाया गारंटियों के संबंध में एक प्रकटीकरण विवरणी प्राप्ति बजट के साथ संलग्न है।

राजकोषीय नीति की कार्यनीति 2021-22 संक्षिप्त जानकारी:

23. वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार की राजकोषीय नीति कुशल राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से संवृद्धि और स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर संयुक्त रूप से ध्यान केन्द्रित करती है। ओमिक्रोन संक्रमणों में हाल में तीव्र वृद्धि, महामारी से उत्पन्न आपूर्ति गतिरोधों, निम्न संवृद्धि पूर्वानुमान की दृष्टि से वैश्विक जोखिम, बढ़ती मुद्रास्फीति तथा वैश्विक तेल मूल्य इत्यादि, के कारण उत्पन्न हुई चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद, सरकार की राजकोषीय नीति कार्यनीति के कई सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी जीडीपी संवृद्धि के प्रथम अग्रिम अनुमान (7 जनवरी, 2022) से स्पष्ट है। इस कार्यनीति ने देश के आर्थिक पुनरूद्धार और समेकन को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए राज्यों तथा निजी क्षेत्र को सफलतापूर्वक शामिल करने के माध्यम से समावेशिता भी प्रदर्शित की है।

बजट 2022-23 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

24. नवीनतम जीडीपी अनुमानों और प्रमुख आर्थिक कार्यकलाप संकेतकों में मूवमेंट भारत के आर्थिक समुत्थान में बढ़ी हुई तेजी की पुष्टि करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के नॉमिनल जीडीपी के 2021-22 की तुलना में 11.1% तक बढ़ने का अनुमान है।

25. वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक/राजकोषीय प्रबंधन के सरकारी दृष्टिकोण में तीन सुविचारित कार्यनीतियां शामिल हैं। इनमें मांग/आपूर्ति पक्ष

उपायों के न्यायोचित तालमेल, समय पर, लक्षित और प्रभाव-उन्मुखी विकास/कल्याणकारी नीति कार्रवाइयां और संवृद्धि को तेज करने और बनाए रखने के लिए संतुलित संवृद्धि-मुद्रास्फीति समीकरण को संतुलित करना, शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कैपेक्स सार्वजनिक व्यय पर अभूतपूर्व जोर दिखाई देगा जो आर्थिक संवृद्धि और उत्पादक रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।

26. राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान 2022-23 में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत होने के साथ, सरकार संशोधित अनुमान 2021-22 में 0.5 प्रतिशत के राजकोषीय सुधार की योजना बना रही है। वास्तविक अर्थों में, बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2021-22 के 15.91 लाख करोड़ रूपए की तुलना में 16.61 लाख रूपए होने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा संशोधित अनुमान 2021-22 में जीडीपी के 4.7 प्रतिशत की तुलना में कम होकर जीडीपी के 3.8 प्रतिशत पर होने की उम्मीद है। व्यय की गुणवत्ता और बेहतर राजस्व पूंजीगत संतुलन केन्द्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे के सुधरे रूप में कम होने का संकेत देता है।

राजस्व (कर और कर भिन्न) प्राप्ति:

27. सकल कर राजस्व (जीटीआर) में संशोधित अनुमान 2020-21 से बजट अनुमान 2022-23 में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति में संशोधित अनुमान 2021-22 से बजट अनुमान 2022-23 में क्रमशः 13.6 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष करों में निम्नतर

संवृद्धि के मुख्य कारण उपभोक्ताओं के लिए राहत प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती करना है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी व्यवस्था के स्थिरीकरण से भविष्य में अप्रत्यक्ष कर संग्रह को गति मिलने की संभावना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बजट अनुमान 2022-23 में सकल कर राजस्व के लगभग 52 प्रतिशत और 48 प्रतिशत होने का अनुमान है।

28. बजट 2022-23 में जीटीआर 27.58 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान और बजट अनुमान पर क्रमशः 10% और 24 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमान 2022-23 में कर और जीडीपी का अनुपात 10.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक सुधार की निरंतर गति से कर संग्रह में वृद्धि होना अपेक्षित है। कर राजस्व (केन्द्र को निवल) लगभग 19.35 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो सं.अ. 2021-22 के कर राजस्व से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। गैर-कर राजस्व बजट अनुमान 2022-23 में 2.70 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यह राशि संशोधित अनुमान 2021-22 की 3.14 लाख करोड़ रूपए से कम है (वित्त वर्ष 2021-22 में अधिक आरबीआई लाभांश अंतरण आदि के कारण)। बहरहाल, बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में, लगभग 11 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

29. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) में दो प्रमुख घटक अर्थात् ऋण एवं अग्रिम की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां हैं। बजट अनुमान 2022-23

में ऋण एवं अग्रिम की वसूली के अंतर्गत प्राप्तियों के 14,291 करोड़ रूपए होने का अनुमान है। एनडीसीआर के प्रमुख श्रेणियों में आस्तियों की अपेक्षित बिक्री सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पण की बिक्री के कारण विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक वसूली पर बाजार की मौजूदा स्थितियों, सरकारी पण को निर्दिष्ट अनुमानित मूल्यांकन आदि का प्रभाव है। इन कारणों को देखते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 का विनिवेश अनुमान बजट अनुमान 2022-23 में 0.63 लाख करोड़ रूपए अनुमानित है। आर्थिक सुधार की गति में सुधार होने से इस वित्त वर्ष में विनिवेश प्राप्तियां बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे।

व्यय

30. बजट अनुमान 2022-23 में केन्द्र का कुल व्यय लगभग 39.45 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान पर क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पूंजीगत व्यय:

31. वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 5.54 लाख करोड़ रूपए के पूंजीगत परिव्यय की व्यवस्था है। यह बजट अनुमान 2020-21 पर 34.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्शाता है। पूंजीगत खर्च वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार का महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्र बना रहेगा।

32. बजट अनुमान 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रूपए के पूंजीगत परिव्यय का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक पूंजीगत व्यय से लगभग 2.2 गुणा से भी अधिक और बजट अनुमान

2021-22 से 35.4 प्रतिशत अधिक है। प्रमुख अवसंरचना एवं कार्यनीतिक मंत्रालय जैसे कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, रक्षा आदि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में अपने पूंजीगत परिव्यय में भारी वृद्धि दर्शा रहे हैं।

33. राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को वित्त वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किया गया था। अब बढ़े हुए परिव्यय के साथ इसे वित्त वर्ष 2022-23 तक बढ़ा दिया गया है। राज्यों से मिले सकारात्मक फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के अंतर्गत किया गया आबंटन बजट अनुमान 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 1.0 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह बजट अनुमान 2021-22 के आवंटन की तुलना में दस गुना अधिक है, जो जीडीपी का लगभग 0.4 प्रतिशत है।

राजस्व व्यय

34. बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व पर लगभग 31.95 लाख करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है। केन्द्र के राजस्व व्यय के मुख्य संघटकों में ब्याज भुगतान, बड़ी आर्थिक सहायता, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय और वित्त आयोग की अनुदानों के रूप में राज्यों को अंतरण, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं आदि शामिल हैं। केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को दी जाने वाली अनुदानों, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का एक बड़ा भाग है। नीचे के पैरा में कुछ महत्वपूर्ण मदों पर संक्षिप्त चर्चा की गई है :

(i) ब्याज भुगतान

35. ब्याज भुगतान केन्द्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा संघटक है। बजट अनुमान 2021-22 में लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान का अनुमान लगाया गया है जो कुल राजस्व व्यय का 27.6 प्रतिशत और केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियों का 45.3 प्रतिशत है। संशोधित अनुमान 2021-22 में लगभग 8.14 लाख करोड़ रुपए के ब्याज व्यय का अनुमान लगाया गया है, जो राजस्व व्यय का 25.7 प्रतिशत तथा केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों का 39.14 प्रतिशत है।

36. मौजूदा ब्याज दर परिदृश्य को देखते हुए बजट अनुमान 2022-23 में ब्याज भुगतान के अंतर्गत लगभग 9.41 लाख रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जो राजस्व व्यय का 29.4 प्रतिशत और केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों का 42.7 प्रतिशत है।

(ii) मुख्य सब्सिडी

37. मुख्य सब्सिडी अर्थात् खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम राजस्व व्यय के अन्य महत्वपूर्ण संघटक हैं। मुख्य सब्सिडी के संबंध में व्यय के बजट अनुमान 2011-22 में 3.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान 2021-22 में 4.33 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस वृद्धि के मुख्य कारण निःशुल्क खाद्यान योजना पीएमजीकेएवाई को आगे बढ़ाना तथा उर्वरक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि होने के कारण किसानों तथा कृषि क्षेत्र को इसके प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर अतिरिक्त व्यय करना है। बजट अनुमान

2022-23 में मुख्य सब्सिडी लगभग 3.18 लाख करोड़ रुपए पर बना रहा, जिसके जीडीपी के 1.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(iii) वित्त आयोग अनुदान

38. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वित्त आयोग का कुल अनुमान लगभग 1.93 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

(iv) ब्याज भुगतान

39. पेंशन भुगतान का प्रभाव भारत सरकार में मुख्य रूप से तीन अनुदान मांगों अर्थात् रक्षा (पेंशन), सिविल (पेंशन) और दूर-संचार विभाग में उत्पन्न होता है। हालांकि सिविल पेंशन सभी सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अन्य दो मांग विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों से संबंधित पेंशन व्यय को पूरा करती है। पेंशन के संबंध में व्यय, जो बजट अनुमान 2020-21 में लगभग 1.89 लाख करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान 2021-22 में इसके बढ़कर 1.99 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस वृद्धि का मुख्य कारण 1 जुलाई, 2021 से महंगाई राहत के तीन किस्तों को पुनःबहाल करना है। बजट अनुमान 2022-23 में पेंशन व्यय बढ़कर 2.07 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो अनुपातिक जीडीपी का 0.8 प्रतिशत है। इसमें रक्षा पेंशन के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए, सिविल पेंशन के लिए 0.66 लाख करोड़ रुपए तथा दूर संचार पेंशन के लिए 0.19 लाख करोड़ रुपए शामिल है।

(v) राज्यों को कर अंतरण

40. वित्तीय वर्ष 2022-23, 15वें वित्त आयोग का दूसरा वर्ष है, पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 से विभाज्य पुल से राज्यों को 41 प्रतिशत कर अंतरित किए जाने का निर्णय किया गया है। राज्यों को अंतरणीय कर हिस्सेदारी जो बजट अनुमान 2021-22 में लगभग 6.66 लाख करोड़ रुपए था, वर्ष के दौरान कर प्राप्ति में वृद्धि के कारण संशोधित अनुमान में अत्यधिक बढ़कर लगभग 7.45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें पूर्व की अवधि के लगभग 0.24 लाख करोड़ रुपए का समायोजन शामिल है। पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में बजट अनुमान 2022-23 में राज्यों को 8.17 लाख करोड़ रुपए का कर अंतरण निर्धारित किया गया है।

उधार : सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं

41. केन्द्र सरकार ने बजट अनुमान 2022-23 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल उधार के लिए क्रमशः 14.95 लाख करोड़ रुपए तथा 11.09 लाख रुपए की योजना तैयार की है। यह राशि बजट अनुमान 2021-22 में नियोजित 12.05 लाख करोड़ रुपए से 24 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण के अधिक भुगतान और सांकेतिक अवधि में राजकोषीय कमी में परिवर्तन के कारण हुई है।

42. राजकोषीय कमी के वित्तपोषण का अन्य स्रोत केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, अल्पावधि राजकोषीय हुंडी, निवल बाह्य सहायता तथा सार्वजनिक खाता शेष राशि है। बजट

अनुमान 2022-23 में वित्तीय घाटे के वित्त पोषण के लिए, एनएसएसएफ से 4.25 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का अनुमान है, जबकि बाह्य स्रोतों तथा राज्य भविष्य निधि से क्रमशः 0.19 लाख करोड़ रुपए तथा 0.20 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।

43. सरकार के कुल दायित्व में सार्वजनिक ऋण तथा भारत के लोक लेखा खाते अन्य दायित्व शामिल हैं। दायित्वों के सार्वजनिक ऋण में मुख्य संघटक आंतरिक सार्वजनिक ऋण से संबंधित है और शेष बाह्य ऋण संघटक हैं। केन्द्र का बाह्य ऋण कुल देयता का अत्यंत छोटा होता भाग है क्योंकि सरकार का उधार मुख्यतः घरेलू बाजार से प्राप्त किया जाता है। बाह्य उधार मुख्यतः बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

44. केन्द्र के बही मूल्य पर बाह्य ऋण सहित कुल सार्वजनिक ऋण के संशोधित अनुमान 2021-22 में 120.06 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 136.40 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कुल सार्वजनिक ऋण जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी का 51.7 प्रतिशत है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर जीडीपी के 52.9 होने का अनुमान है।

45. एफआरबीएम अधिनियम ने केन्द्र सरकार के ऋण के कवरेज को व्यापक कर दिया है। इस परिभाषा के संदर्भ में, केन्द्र सरकार के ऋण में वर्तमान विनियम दर पर बाह्य ऋण का मूल्य, सार्वजनिक खाते में सभी बकाया दायित्व, ईबीआर दायित्व आदि सहित भारत की संचित निधि पर सभी दायित्व शामिल है। इस व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान 2022-23 में केन्द्र सरकार का ऋण जीडीपी के 60.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

46. भारत की थोक निधि के संबंध में बकाया दायित्व का बड़ा भाग राज्य सरकार विशेष प्रतिभूति (जो राज्य सरकारों का वास्तविक दायित्व हैं) में एनएसएसएफ निवेश के कारण है। यदि ऐसे निवेश को हटा दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में केन्द्र का वास्तविक दायित्व जीडीपी का 60.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

जीडीपी वृद्धि

47. सीएसओ के प्रथम उन्नत आकलन के अनुसार वर्ष 2021-22 में वास्तविक वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, मौजूदा कोविड-19 संक्रमण का बढ़ना तथा निम्न वैश्विक वृद्धि के संदर्भ में वैश्विक जोखिम का जारी रहना, वृद्धि स्फीति, तेल के मूल्य का बढ़ना चुनौती बना हुआ है। इस परिदृश्य में बजट में यह आकलन किया गया है कि भारत के सांकेतिक जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

निम्नलिखित के संबंध में सम्पोषणीयता का आकलन

(i) राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के बीच संतुलन

48. संशोधित अनुमान 2021-22 में केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्ति के 20.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दूसरी ओर केन्द्र का राजस्व व्यय जो बजट अनुमान के स्तर पर 29.29 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि, राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान 2021-22 के 65.5 प्रतिशत से बेहतर होकर 61.1 प्रतिशत हो गया। बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के संतुलन के और बेहतर होकर लगभग 69 प्रतिशत होने का अनुमान है। चूंकि अर्थव्यवस्था विकास के बेहतर पथ पर स्थिर हो रहा

है, कर-जीडीपी अनुपात में क्रमिक सुधार की आशा है।

49. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच आदर्श संतुलन प्राप्त करने में केन्द्र तथा राज्य के बीच के वित्तीय संबंधों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पूंजी आस्तियों सृजित करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त संसाधन अंतरित किए जाते हैं। तथापि, ऐसे अनुदानों का अंतिम प्रयोग लेखांकन में पूंजी स्वरूप का हो सकता है, ऐसे अंतरणों को केन्द्र सरकार की बही में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। अतः केन्द्र सरकार का प्रभावी पूंजी व्यय (इसमें पूंजी खाते में संबंध में व्यय का जीआईए कैपेक्स शामिल है) बजट अनुमान 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान है।

(ii) उत्पादक आस्तियां सृजित करने के लिए बाजार उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग

50. पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच में अनुपात (कैपेक्स-एफडी) से व्यापक तौर पर इस बात का आकलन होता है कि सरकार के पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए किस सीमा तक ऋण संसाधनों का प्रयोग किया गया है। महामारी वर्ष 2020-21 में किए गए अतिरिक्त राजकोषीय उपायों के कारण यह अनुपात गिर कर लगभग 23 प्रतिशत पर आ गया जबकि महामारी से पूर्व 2019-20 में इसे 36 प्रतिशत तक हासिल कर लिया गया था। पूंजीगत व्यय को प्रति व्यक्ति राजकोषीय नीति का एक कारगर साधन माना जाता है जो रोजगार सृजन

में तेजी लाने की दिशा में स्थूल आर्थिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में महती भूमिका अदा करता है। बजट अनुमान 2021-22 में पूंजीगत आवंटन को बढ़ाकर इसमें पर्याप्त संवर्द्धन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कैपेक्स और राजकोषीय घाटे का अनुपात बढ़ कर 36.8 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

51. बजट अनुमान 2022-23 में, बजट अनुमान 2021-22 के आवंटन पर 35.4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए पूंजीगत व्यय को आगे और संवर्द्धन प्रदान किया गया है। यह संवर्द्धन संशोधित अनुमान 2021-22 पर जीडीपी का 0.5 प्रतिशत राजकोषीय समेकन हासिल करते हुए किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कैपेक्स-एफडी आनुपात बढ़कर अनुमानत 45.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय नीति की रणनीति

52. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की राजकोषीय नीति की रणनीति राजकोषीय समेकन के मार्ग पर डटे रहते हुए आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने के सिद्धांतों द्वारा निरेशित तहै। यह रणनीति पर्याप्त रूप से बढ़ते पूंजीगत निवेशों की स्थूल आर्थिक अनिवार्यता के सिद्धांत पर भी चल रही है। सैद्धांतिक तौर पर, पूंजीगत व्यय में अधिक निवेश करने से आर्थिक बहली पर और अधिक गुणात्मक पड़ेगा। भारत में, केन्द्र सरकार द्वारा किया गए पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव अवधि ही में अनुमानत 2.45 और अवधि टी +1 में अनुमानत 3.14 हो जाएगा (आरबीआई बुलेटिन, सिदंबर, 2020)।

53. चूंकि निजी उपयोग और विनिवेश संबंधी खर्चों में नियमित रूप से सुधार देखा गया है, फिर

भी सरकार की राजकोषीय नीति में आर्थिक वृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा अधिक उत्तरदायित्व लिए जाने पर बल दिया गया है। बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय आवंटन का एक बहुत बड़ा भाग पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए उपयोग में लाए जाने की योजना है, क्योंकि यह निवेश प्रेरित विकास-चक्र में तजी लाने के साथ-साथ रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए आवश्यक है।

कर नीति

54. कर नीति व्यापक कर आधार और उच्चतर कर संग्रहण पाने के दोहरे उद्देश्य की ओर अग्रसर है। सरकार की नीति कर और जीडीपी के बीच का उच्चतर अनुपात हासिल करने के उद्देश्य से कर छूटों को न्यूनतम करने तथा कर आधार को और व्यापक बनाने की ओर मुख्य रूप से उन्मुख है। बजट अनुमान 2022-23 में, अनुमान लगाया गया है कि सकल कर राजस्व (जीटीआर) जीडीपी का 10.7 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।

55. अप्रत्यक्ष कर की ओर देखा जाए तो, जीएसटी के "एक राष्ट्र एक बाजार एक कर" के लक्ष्य के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष, दक्ष कर व्यवस्था निर्मित की है। सरकार निम्नानुसार राजस्व उपायों का संवर्द्धन करने के लिए जीएसटी नीति का उपयोग करने की दिशा में कार्य कर रही है।

- (i) रीटर्न एडवांसमेंट एंड एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट (टीम) (2बीएच सृजन) से विवरणी भरने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है) इससे अधिक से अधिक लोग विवरणी भरने में सक्षम हुए हैं जिनकी संख्या 85-90

प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऑटो-पोपुलेशन से सांविधिक विवरणों में आंकड़ों की गुणवत्ता में भी सुधार आया है जिससे कर अधिकारी द्वारा जांच लेखा परीक्षा के लिए दक्ष-हस्तक्षेप करना और अधिक व्यावहारिक हो गया है।

- (ii) तिमाही आधार पर विवरणी करना और मासिक आधार पर भुगतान (क्यूआरएमपी)- छोटे कर दातों के लिए एक वर्ष में विवरणियों की संख्या 24 से घटकर अब 8 पर आ गई है।
- (iii) एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी मासिक विवरणी के परिणामस्वरूप 22 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी का अनुपालन करना और अधिक सरल हो गया है जिन्हें अन्यथा सामान्य पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना पड़ता था और फिर हर महीने अपनी विवरणियां दर्ज करानी पड़ती थी।
- (iv) विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, विलंब शुल्क की माफी/कटौती और रद्दीकरण के समापन की एमनेस्टी स्कीम से करदाताओं को बहुत मदद मिली है अन्यथा करदाता विलंब शुल्क आदि के भारी बोझ के चलते अपने देयों को दर्ज नहीं करा पाते थे।
- (v) बेहतर भुगतान अनुशासन और प्रणाली आधारित क्रेडिट मैचिंग (एक गैर-हस्तक्षेपी प्रणाली द्वारा सत्यापित क्रेडिट प्रवाह व्यवस्था की ओर अग्रसर) नामक व्यवस्था आपूर्तियों की उचित समय पर सूचना देने

के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है।

- (vi) जीएसटी 2 ए- जीएसटीआर 3बी का अंतराल भी कम हो रहा है जो एक ओर ऑटोपोपूल्शन और विवरणी भरने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय करके तथा दूसरी ओर नीतिगत हस्तक्षेप फंदा कस करके संभव हो रहा है।
- (vii) करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवायसिंग प्रणाली आरंभ की गई है, जिससे करदाताओं को कर संगत प्रक्रियाओं के पश्च समेकन तथा स्व-संचालन में सहायता मिलेगी। इससे कर प्राधिकरणों को कर अपवंचन की समस्या पर लगाम लगाने में भी सहायता मिलेगी।
- (viii) नकली डीलरों तत्संबंधी नियमों में सशक्त उपबंधों को शामिल करते हुए नकली डीलरों और नकली बीजक की समस्या से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

56. जीएसटी संग्रहणों में नियमित सुधार दर्शाता है कि जीएसटी व्यवस्था परिपक्व हो रही है तथा समूचे देश में इसे स्वीकार किए जाने के साथ-साथ इस व्यवस्थाओं में स्थायित्व आया है। जीएसटी प्राप्ति बजट अनुमान 2022-23 में अनुपात्रता 7.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो संशोधित अनुमानों पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सरकार जीएसटी फाइलिंग और अदायगी प्रक्रियाओं को ओर सरल बनाकर जीएसटी प्रशासक में सुधार की दिशा में कार्य कर रही है।

57. सीमाशुल्क कर ढांचा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करने की सरकार की सजग नीति द्वारा

निदेशित किया गया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में विनिर्मित की जा रही वस्तुओं के लिए कच्ची सामग्री पर कम शुल्क लगाने तथा इन वस्तुओं को युक्तिसंगत प्रशुल्क सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई। सीमा-शुल्क ढांचा इस तरीके से अंशाकित किया गया है कि इसमें प्रमुख दोनो जैसे पेट्रोलियम अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण आदि में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। निर्यात पर स्क्रिप दर के माध्यम से प्रदत्त छूट या प्रोत्साहन दिए गए हैं। आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए सीमाशुल्क ईडीआई पर एक छोर-से-छोर सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित व्यवसाय प्रक्रिया तैयार की गई है जिसमें व्यवस्था की गई है कि शिपिंग बिल पर निर्यात करने पर यदि निर्यातक का वही कस्टक्स ईडीआई पर रखा जाता है जो उसे स्वतः ही ड्यूटी क्रेडिट पोपूलेट हो जाता है।

58. प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर, नीति के अंतर्गत राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए तथा स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार लाने के लिए देश के कर पारितंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में, अनेक उपाय किए गए हैं जो वैधानिक और प्रशासनिक दोनों तरह के हैं। इसके अलावा, प्रत्यक्ष कर प्रशासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें प्रौद्योगिकी नवचारों को शामिल करते हुए अनेक सुधार किए गए हैं। करदाताओं के अनुपालन से जुड़े भार को कम करने के लिए तथा राजस्व संवर्द्धन को सुकर बनाने के लिए सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:

- क. पहली बार पैन का प्रयोग करने वाले के लिए आधार आधारित तुरंत ईपैन, निःशुल्क, पूर्णतः ऑनलाइन और सिंगल विंडो विकल्प।

- ख. करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाना: सरकार ने कर अनुपालन सुकर बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं जैसे कि विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं, करदाता का चार्टर शुरू किया गया, फेसलेस शास्ति का तंत्र, करदाता की सुविधा बढ़ाने के लिए आईटीआर की पूर्व फाइलिंग को शुरू किया गया है, आयकर कार्यवाही के लगने वाले समय को कम किया गया है आदि।
- ग. विवाद से विश्वास, 2012 के संशोधन के भूतलक्षी भाग को रद्द करके, फेसलेस अपील स्कीम, ई-सत्यापन स्कीम आदि के माध्यम से मुकदमेबाजी में कमी लाने की दिशा में समझदारीपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।
- घ. प्रत्यक्ष कर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर नकद आहरण पर टीडीएस को लागू करके, दो लाख रुपए या इससे अधिक राशि की नकद प्राप्ति को प्रतिबंधित करके अर्थव्यवस्था के डिजिटकीकरण की सुविधा उपलब्ध करता है।
- ङ. सरकार ने वहनीय मकान खरीदने/किराये पर लेने, स्टार्ट-अप्स, सवरेन संपत्ति निधियां/पेंशन निधियां, निगमों, भारतीय इक्विटी मार्केट में निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र (आईएफएससी) आदि के प्रति दीर्घावधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर प्रोत्साहन भी दिए हैं।
- च. सरकार अपने कार्यक्षेत्र में नए संव्यवहारों को शामिल करते हुए टीडीएस/टीसीएस का दायरे को विस्तृत करके कर वंचन को नियंत्रित

करने तथा कर आधार को व्यापक बनाने के लिए प्रयासरत है।

59. सरकार डिजिटल मीडिया का प्रयोग करते हुए - सामाजिक जागरूकता और करदाता शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने तथा कर प्रणाली में उनका अधिक से अधिक विश्वास कायम करने के लिए विशेष तौर पर करदाताओं तथा सामान्य तौर पर प्रत्येक की अग्रणी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

व्यय नीति

60. सरकार की व्यय नीति दीर्घावधिक स्थायी और निष्पक्ष विकास व कल्याण के लिए उपलब्ध संसाधनों की उत्पादनशील दक्षता और इनके इष्टतम उपयोग के सिद्धांतों के द्वारा शासित है। बजट 2022-23 में सरकार का मुख्य ध्यान विकास, रोजगार तथा अधिक सार्थक हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने की दिशा में निवेशों के लिए अधिक से अधिक राशि के व्यय आबंटनों पर निदेशित है। देश में अवसंरचना विकास तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर लक्षित स्कीमों के लिए अधिक से अधिक आबंटनों पर बल दिया गया है। एक ओर, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक आबंटन तथा इस संदर्भ में रेलवे, राजमार्गों, रक्षा के लिए अधिक आबंटनों की जरूरत को देखा जाना है।

61. पूर्वोक्त उद्देश्यों के संदर्भ में, सरकार की पहलों जैसे कि देश में अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित नियोजन और निष्पादन के लिए पीएम गतिशक्ति, सीएसएस के तहत संसाधनों के कारगर और कुशल उपयोग के लिए सिंगल नोडल एकाउंट (एसएनए), सही-समय पर निर्गम सुनिश्चित करने और इस प्रकार संसाधनों के व्यर्थ ठहराव से बचने के

लिए, राज्यों के साथ निरंतर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी सिंगल एकाउंट को वित्त वर्ष 2022-23 में और अधिक प्रतिबल मिलने की संकल्पना की गई है। इन पहलों पर निम्नलिखित पैराओं में संक्षेप में चर्चा की गई है:

62. **पीएम गतिशक्ति:** आर्थिक भाषा में, अवसंरचना व्यय का अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। भारत में, अवसंरचना अक्सर देश की संभावित संवृद्धि दर को बढ़ाने में एक अपरिहार्य बाधा के रूप में उद्धृत की जाती रही है। पूंजीगत व्यय को गति प्रदान करते समय, निगरानी और नियंत्रक परियोजना विलंबों के लिए प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण करके निर्धारित परिव्यय के भीतर परियोजना के समय पर कार्यान्वयन पर जोर देना भी अनिवार्य है।

63. प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को आरंभ करने से देश में अवसंरचना विकास को गति मिलने की संभावना है। पीएम गतिशक्ति - बहु-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान रेलवे और सड़क परिवहन सहित देश में समेकित आयोजना और अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों को साथ लाएगी। विभिन्न मंत्रालयों की अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अनुमोदन गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए अनुरूपता के परिपेक्ष्य से देखे जाने हैं। इस प्रकार अवसंरचना विकास के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।

64. पीएम गतिशक्ति भारत में एक विश्व स्तरीय, सुदृढ बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क सृजित करने के लिए सामंजस्य लाते समय, विभागवाद के चक्र को तोड़ने के लिए निर्णय करने में एक क्रांतिकारी

परिवर्तन है। गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफार्म से लम्बे समय से लंबित मुद्दों जैसे विखण्डित आयोजना, असाधारण विलम्ब और देश में सार्वजनिक क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में लागत बढ़ोतरी और समय पर सृजन और अवसंरचना क्षमताओं के उपयोग में मदद मिलने की उम्मीद है। यह लोगों, वस्तुओं और परिवहन के एक साधन को दूसरे साधन से समेकित करने और मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करने में भी तथा अवसंरचना के अंतिम कनेक्टिविटी को सुविधाजनक और लोगों के लिए यात्रा समय को भी घटाने में सहायता करेगी।

65. **एकल नोडल एकाउंट (एसएनए):** एसएनए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों के लिए जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। एसएनए से सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अस्थिरता को कम करके और संवर्धित पारदर्शिता द्वारा प्रभावी नकद प्रबंधन सुनिश्चित होने की संभावना है।

66. इस प्रणाली के तहत, सीएसएस के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक सीएसएस के लिए एसएनए खाते को आगे निर्मुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में मौजूद राज्य सरकार के खाते के लिए केंद्रीय हिस्सा जारी करेंगे। प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक सीएसएस कार्यान्वयन के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करना अपेक्षित है। यह एसएनए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगी। कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) एसएनए खाते का उस

खाते के लिए निर्धारित स्पष्ट रूप से निर्धारित आहरण सीमा के साथ उपयोग करेंगी।

67. **ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए):** टीएसए तंत्र के तहत, स्वायत्त निकाय वास्तविक व्यय के समय सरकारी खाते से निधियां आहरित करती हैं जो स्वायत्त निकायों में निधियों के निष्क्रिय पड़ रहने की समस्या को दूर करने में सहायता करेंगी जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी नकदी प्रबंधन सुकर बनाते समय सरकार के लिए ब्याज लागत की बचत होगी। टीएसए की कवरेज को बढ़ा दिया गया है।

68. **पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों के सहायक प्रयास:** वर्तमान आर्थिक मंदी के समय, सरकार ने समन्वित प्रतिक्रिया के माध्यम से पूंजीगत खर्च को बढ़ाने संबंधी अपने प्रयासों में सहायता सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से नियमित रूप से तीव्रतम संभावित आर्थिक पुनरूद्धार के मुद्दे का समाधान सुनिश्चित किया है। राज्यों द्वारा पूंजीगत आस्ति सृजन को गति देने के लिए, राज्यों को उनके पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए विशेष योजना को भारी वृद्धि के साथ परिव्यय को बजट अनुमान 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर बजट अनुमान 2022-23 में 1.0 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।

सरकारी उधारियां, ऋण देना और निवेश

69. सरकार के ऋण प्रोफाइल की मुख्य विशेषताओं में से एक कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण का अनुपात कम होना रहा है, जो वर्तमान विनिमय दर पर 31 मार्च, 2021 तक केंद्रीय सरकार की कुल देनदारियों का लगभग 5 प्रतिशत है। विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित

करने के लिए चुनिंदा विकास भागीदारों से बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋण के लिए बाह्य उधारी को सीमित किया गया है और, इस प्रकार, यह पूंजी के प्रतिकूल प्रवाह से प्रभावित नहीं होता है। बजट अनुमान 2021-22 में 1,514 करोड़ रुपए पर बाह्य वित्तपोषण में एफडी की हिस्सेदारी 0.1 प्रतिशत है। एफडी वित्तपोषण हेतु बाह्य वित्तपोषण के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 19,251 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, सरकार 2022-23 में एफडी के केवल 1.2 प्रतिशत बाह्य स्रोतों के वित्तपोषण के साथ घरेलू बाजार उधारी अथवा बाजार से जुड़े घरेलू स्रोतों से ऋण जुटाने पर निर्भर रहना जारी रखेगी।

70. सरकारी ऋण पोर्टफोलियो में जोखिम रोल ओवर 17 जनवरी, 2022 तक बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के 16.95 वर्ष तक होने के औसत परिपक्वता के साथ निम्न स्तर पर बना रहा। इसके अतिरिक्त, आगामी पांच वर्षों में परिपक्व हो रही प्रतिभूतियां कुल बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 30 प्रतिशत हैं।

71. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (दिसम्बर तक), प्राथमिक निर्गम की भारत औसत परिपक्वता पूर्ववर्ती वर्ष में 14.81 वर्ष की तुलना में 16.73 वर्ष के साथ उच्च बना रहा। 2021-22 की समान अवधि के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत प्रतिफल 2020-21 के दौरान 5.79 प्रतिशत की तुलना में 6.22 प्रतिशत था। जो उच्च प्रतिफल वातावरण का संकेत देता है। उधारी लागतों में कमी के साथ प्राथमिक निर्गमों की जारी उच्च परिपक्वता बीमा कंपनियों और भविष्य निधियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक लम्बे कार्यकाल वाली प्रतिभूतियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मांग प्रदर्शित करती है जिनका मध्यम अवधि में सरकार के प्रयासों सहायता के लिए

अपनी परिपक्वता प्रोफाइल में बढ़ोत्तरी करना जारी है।

72. कुशल ऋण प्रबंधन अच्छी आर्थिक नीति का एक मुख्य घटक है और वित्तीय स्थायित्व के लिए एक पूर्वापेक्षा भी है। भारत में, ऋण नीति जीडीपी अनुपात में सार्वजनिक ऋण की क्रमिक कमी के सिद्धांत द्वारा चालित है ताकि ऋण चुकौती लागत को कम किया जा सके और अन्य व्यय के लिए राजकोषीय अवसर सृजित किया जा सके। ऋण नीति स्थायी, कम लागत और कुशल ऋण संरचना बनाए रखने पर जोर देती है। सरकार अपनी सक्रिय ऋण प्रबंधन नीति का अनुसरण करना जारी रखेगी।

73. सरकार के मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन कार्य नीति नियोजित निर्गम के माध्यम से मध्यम/दीर्घावधि में बाजार उधारी की सरकारी लागत को कम करने तथा अपेक्षाकृत कम लागतों के उपयुक्त उपकरणों के प्रस्ताव; प्रतिभूतियों की परिपक्वताओं और परिवर्तनों/वापस खरीद को बढ़ावा देकर रोल ओवर जोखिम को रोक कर जोखिम को घटाने, परिवर्तनीय ऋण दर को नीचे रखकर ब्याज दर जोखिमों को कम करने, घरेलू मुद्रा में ऋण जारी करके विदेशी मुद्रा जोखिमों को प्रबंधित करने तथा बाह्य ऋण को सीमित करने; और नई लिखतों को आरंभ करके बाजार विकास में सहायता करने, निवेशक आधार को विस्तारित करने, बाजार अवसंरचना इत्यादि को सुदृढ़ करने के निमित्त है।

74. बाजार उधारियों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान केंद्रित करने के अलावा, सरकार बाजार दरों के साथ प्रशासित ब्याज दरों को समरूप बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। छोटी बचतों पर ब्याज दरें अब दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए द्वितीय बाजार में

प्रतिफलों से जुड़ गई है और ब्याज दरों की प्रत्येक तिमाही में इसकी समीक्षा की जाती है।

75. सरकार सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार अक्टूबर, 2016 से 'सरकारी ऋणों पर स्थिति दस्तावेज' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट में देश की समग्र ऋण स्थिति, ऋण संधारणीयता के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन, विभिन्न जोखिमों इत्यादि को कवर करने के लिए मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति सहित सार्वजनिक ऋण के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रणनीतिक वरीयताएं:

76. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की राजकोषीय कार्यनीति प्राथमिकताएं क्रमिक राजकोषीय समेकन के पथ पर निरंतरता के सिद्धांत पर निर्भर हैं जब कि प्रचलित आर्थिक दशाओं के प्रति प्रभावकारी प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक सुनम्यता बनाए रख रही है। सरकार की वित्तीय वर्ष 2022-23 राजकोषीय कार्यनीति निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों पर आधारित हैं:

- क. अवसंरचना विकास गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत खर्च की दिशा में अधिक संसाधनों को निदेशित करना;
- ख. समेकित और समन्वित आयोजना तथा पीएम गति-शक्ति के सिद्धांतों को अपनाते हुए, देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना;
- ग. संधारणीय संवृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों यथा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता,

कृषि, ग्रामीण विकास इत्यादि पर व्यय को वरीयता देना;

- घ. सरलीकृत और बेहतर अनुपालन तथा आस्तियों का मुद्रीकरण करके कर उत्प्रेरण को बढ़ाकर संसाधनों की अपेक्षाकृत बड़ी धनराशि जुटाना;
- ङ. सरकारी राजकोषीय संग्रह की विश्वसनीयता और सुदृढ़ता को बढ़ाना। ईबीआर वित्तपोषित योजनाएं सरकारी बजट, एनएचएआई के लिए अतिरिक्त कैपेक्स प्रावधान को मिला दिया गया है जो बाजार उधार इत्यादि पर निर्भरता को कम करके अपने तुलन पत्र को सुधारने में सहायता करेगा;
- च. पूंजीगत खर्च के लिए राज्यों के प्रयासों को समर्थन दे करके सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण;
- छ. एसएनए/टीएसए तंत्र आदि का प्रयोग करके संसाधनों की समय पर निर्मुक्ति के माध्यम से नकदी प्रबंधन की प्रभावकारिता को बढ़ाना।

निष्कर्ष

77. महामारी के कारण सामने आई अनिश्चितता और चुनौतियों के बावजूद, केंद्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने बजट में विश्वसनीय राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उभरते हुए मजबूत व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों के आलोक में, अवसंरचना निर्माण पर अधिक ध्यान देने और क्रमिक राजकोषीय सुधार इत्यादि के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता सहित सरकार के पूर्व सक्रिय उपायों से आगामी समय में

निवेश चक्र के सुविधाजनक बनने और तेज होने की संभावना है। सकारात्मक संवृद्धि वातावरण में सरकार के उपायों को निजी निवेशकों द्वारा धीरे-धीरे अपनाने से उसमें सहायता मिलने की संभावना है। परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्यम अवधि में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी संवृद्धि पथ पर वापस आने की संभावना है।

राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों और धारा 7(3)(ख) के तहत अनुपालन बाध्यताओं से विपथन संबंधी कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण

1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(क) केंद्र सरकार को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत तक वित्तीय घाटे को सीमित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु अधिदेशित करती है। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(घ), केंद्र सरकार को आगे यह प्रयास करना अधिदेश देती है कि उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के पश्चात अधिक नहीं हैं। इस अधिनियम की धारा 7(3)(ख)(i) के अनुसार, वित्त मंत्री के लिए इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार दायित्वों को पूरा करने में विपथन को स्पष्ट करते हुए संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य देना अनिवार्य है।

2. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अप्रत्याशित आर्थिक और राजकोषीय संकट के कारण सरकार को बजट अनुमान 2020-21 के लिए अनुमानित जीडीपी के 3.5 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत तक राजकोषीय

घाटे के स्तर को बढ़ाना पड़ा। सरकार एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3(1ख) के तहत यथा अधिदेशित संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ थी। इस बात पर गौर किए जाने की आवश्यकता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी के राजकोषीय घाटे हेतु वास्तविक संशोधित अनुमान प्रस्तावित 9.5 प्रतिशत की तुलना में 9.2 प्रतिशत तक कम था।

3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (जनवरी, 2022) ने वैश्विक आर्थिक संवृद्धि संबंधी अपने पूर्ववर्ती अनुमान को 2021 में 5.9 प्रतिशत से 2022 में कम करके 4.4 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. महामारी के कारण अनिश्चितताएं 2021 से 2022 तक जारी हैं। इसको देखते हुए, संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य बजट अनुमान 2021-22 में जीडीपी के 6.8 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी के 6.9 प्रतिशत पर अनुमानित हैं। यह अन्य बातों के साथ-साथ, अभीवृद्धि विकास/कल्याण से संबंध महामारी को रोकने संबंधी व्यय और लोगों को राहत प्रदान करने के कारण है। इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया की गत गारंटीकृत/ फुटकर देनदारियों के भुगतान से उत्पन्न वित्तीय प्रतिबद्धताएं भी इसमें शामिल की गई हैं। बजट अनुमान 2022-23 में, राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2021-22 से कम, जीडीपी के 6.4 प्रतिशत तक प्रस्तावित है।

5. वित्त वर्ष 2021-22 में और इससे आगे, कर अनुपालन की सुगमता को सुधारने और वंचन को रोकने, अतिरिक्त बजटीय उधारियों को बंद करने के साथ-साथ सार्वजनिक खर्च में उच्चतर प्रभावकारिता

के लिए व्यय युक्तिकरण तथा पूर्व सक्रिय राजकोषीय प्रकटीकरण उपाय राजकोषीय समेकन संबंधी आगे का मार्ग निर्धारित करेगा।

6. भारत की अर्थव्यवस्था के आधार सुदृढ़ होने के बावजूद, महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के शिथिल होने तक उभरती हुई आकस्मिकताओं के प्रति प्रभावी प्रतिक्रियाओं के लिए अपेक्षित राजकोषीय लचीला बनाए रखना सरकार के लिए अहम है। इसलिए, एफआरबीएम विधि में संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 वर्षों के लिए राजकोषीय प्रस्ताव इस विवरण के साथ पेश नहीं किए जा रहे हैं।

7. तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप, सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के वृहद मार्ग का अनुसरण करती रहेगी। सरकार सम्पोषनीय व्यापक आधार आर्थिक संवृद्धि हासिल करने संबंधी अपने प्रयासों को जारी रखेगी और ऐसे उपाय करेगी जो लोगों के जीवन/आजीविका को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है जबकि राजकोषीय औचित्य मार्ग का अनुसरण करती रहेगी।
